

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.2(18)नविवि/5/2009पार्ट-VI

जयपुर, दिनांक :-**२९ JUL 2013**

आदेश

अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, 2009 के तहत रूपान्तरण/नियमन, ले-आउट प्लान व विल्डिंग प्लान अनुमोदन की प्रक्रिया पॉलिसी के तहत निर्धारित समय में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर आदेश व परिपत्र जारी किये गये थे, परन्तु वर्तमान में भी इन कार्यों में निर्धारित समय से अधिक समय लगने के कारण पॉलिसी के तहत आवेदित परियोजनाओं की क्रियान्विति में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। इस दृष्टिकोण से रूपान्तरण/नियमन, ले-आउट प्लान व विल्डिंग प्लान अनुमोदन के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

1. अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत निजी विकासकर्ताओं द्वारा आवेदित योजनाओं की भूमि के रूपान्तरण/नियमन की समर्त प्रक्रिया सक्षम अधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् अधिकतम 15 दिवस की अवधि में पूर्ण की जाये। इस प्रयोजनार्थ प्रकरण संबंधित नगरीय निकाय में गठित किसी कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी और न ही राज्य सरकार को प्रेषित किये जायेंगे। ऐसी भूमि के पट्टे जारी करने तक की समर्त प्रक्रिया संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर ही पूर्ण की जायेगी।
2. यदि आवेदित भूमि में अफोर्डेबल हाउसिंग योजना अनुमोदित किये जाने से पूर्व भू-उपयोग परिवर्तन आवश्यक हो तो ऐसे प्रकरण प्राथमिकता पर संबंधित नगरीय निकाय की भू-उपयोग परिवर्तन समिति के समक्ष प्रस्तुत कर 15 दिवस की अवधि में निर्णित कराने होंगे। भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया विन्दु सं. 1 की प्रक्रिया के समानान्तर की जायेगी।
3. ले-आउट प्लान अनुमोदन - विन्दु सं. 1 व 2 की प्रक्रिया के समानान्तर रूप में ले-आउट प्लान अनुमोदन की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जायेगी। इसके लिए विकासकर्ता द्वारा रूपान्तरण/नियमन के आवेदन के साथ ही भूमि का ले-आउट प्लान प्रस्तुत किया जायेगा, जिस पर संबंधित जोन/राजस्व शाखा द्वारा स्वामित्व के अनुरूप योजना का सीमांकन सुनिश्चित कर पत्रावली नगरीय निकाय में पदस्थापित नगर नियोजक को प्रेषित कर ले-आउट प्लान अनुमोदित कराया जायेगा। जिन नगरीय निकायों में नगर नियोजक पदस्थापित नहीं हैं, उन नगरीय निकायों के प्रकरणों में ले-आउट प्लान अनुमोदन जिला नगर नियोजक/समाग में पदस्थापित नगर नियोजक से कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। पॉलिसी के तहत आवेदित भूमियों के लिए ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु नगरीय निकाय में गठित ले-आउट/एम्पावर्ड समिति के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। ले-आउट प्लान अनुमोदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया अधिकतम 15 दिवस में पूर्ण करनी होगी।
4. आवेदक विकासकर्ता को पट्टा जारी किया जाना तथा ले-आउट प्लान अनुमोदन के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रकरण संबंधित नगर नियोजक को प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार प्रस्तुत किये जाने वाले नवन मानचित्र अनुमोदन हेतु नगर निकाय स्तर पर गठित भवन मानचित्र/भवन अनुज्ञा/एम्पावर्ड कमेटी के समक्ष

प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। पत्रावली पर ही पूर्ण परीक्षण कर नगरीय निकाय में पदस्थापित नगर नियोजन के वरिष्ठतम् अधिकारी/जिला नगर नियोजक/सभाग पर पदस्थापित नगर नियोजक तथा जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण में निदेशक (नगर आयोजना), नगर विकास न्यासों में पदस्थापित उप/वरिष्ठ नगर नियोजक से अनुमोदन पश्चात् मुख्य नगर पालिका अधिकारी/सचिव, नगर विकास न्यास/संबंधित उपायुक्त, विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किये जायेंगे।


अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अन्तर्गत आवेदित योजनाओं के अनुमोदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया 30 दिवस की अवधि में पूर्ण करनी होगी। ऐसे प्रकरण पत्रावली पर ही सर्वोच्च अधिकारी द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे। इस कार्य को गति देने हेतु न्यास/प्राधिकरण में पृथक् से नोटः अधिकारी भी नियुक्त किया जा सकता है। 30 दिवस की अवधि में उक्त अनुमोदन प्रक्रिया पूर्ण ना होने की स्थिति में संबंधित सक्षम अधिकारी व नगर नियोजक उत्तारदायी होंगे।



(गुरदेव सिंह संघु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. संसदीय सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन स्वायत्त शासन, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त/सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर/अजमेर/आबू जिला सिरोही/भरतपुर/मिवाड़ी/भीलवाड़ा/बीकानेर/बासवाड़ा/बाड़मेर/चित्तोड़गढ़/जैसलमेर/कोटा/पाली/सीकर/श्रीगंगानगर/सवाईमाधोपुर/उदयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान आयास विकास एण्ड इन्फार्ट्रक्चर लिमिटेड, जयपुर।
9. गार्ड फाईल।



संयुक्त शासक सचिव—तृतीय